न्यायायल श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर

निग - 3684 - I - 16 जिला ग्वालियर (म0प्र0)

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक /2016

1 गुलाब सिंह तनय श्री विश्राम सिंह उम्र 54 वर्ष जाति यादव

2. जमुना प्रसाद तनय श्री विश्राम सिंह उम्र 52 वर्ष जाति यादव

3. चन्द्रभान यादव तनय श्री शिवप्रसाद यादव उम्र 42 वर्ष

4. जागेश्वर प्रसाद अवस्थी तनय श्री रामशरण अवस्था उम्र 56 वर्ष

5. मुस0 जड़ा बाई पति स्व0मुल्लू यादव उम्र 28 वर्ष

6. राकेश यादव तनय स्व0 मुल्लू यादव उम्र 28 वर्ष

7. दीपेन्द्र यादव तनय स्व0 मुल्लू यादव उम्र 19 वर्ष

8. मुस0 रामरती यादव बेवा हल्काई यादव

9. रूपासिंह तनय स्व0 हल्काई यादव

10. नारायन सिंह तनय स्व0 हल्काई यादव

11. रज्जू सिंह तनय स्व0 हल्काई यादव

12. मुस0 सखीबाई पति स्व0 वीर सिंह यादव
13. धर्मेन्द्र यादव तनय स्व0 वीरसिंह यादव
14. सुभेन्द्र यादव तनय स्व0वीर सिंह यादव
15. बल्देव तनय विष्णु यादव उम्र 63 वर्ष
सभी निवासीयान ग्राम मुटवॉकला तहसील
देवेन्द्रनगर जिला पन्ना म0प्र0 ....आवेदक / निगरानीकर्तागण

बनाम्

शासन मध्य प्रदेश ....अनावेदक / उत्तरदाता

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959निगरानी विरूद्ध माननीय अधिनस्थ न्यायायल पन्ना के रा0प्र0क्रं0 60बी–121 वर्ष 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 01.10.07 से दुखी होकर।

चन्द्रभानसिंह जमुना गुलाबसिंह जागेश्वर रूपासिंह

नि0अं0 रामरती नि0अं0 जड़ाबाई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3684-एक/2016 जिला पन्ना गुलाब विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । शासकीय अभिभाषक श्री आशीष सारास्वत उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार देवेन्द्रनगर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 60/बी-121/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 01-10-2007 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य